① स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

फाइल सं. एसो.–3/2010/एसटीजीएमपी/एसईपीआरओएम/आर.यू.–III

Dated 25/05/2012

प्रति,

सचिव,
ऊर्जा
मध्य प्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, मंत्रालय,
भोपाल (म.प्र.)

विषय: सहायक यंत्री (सिविल) श्री एस.के. सचदेव, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संघ के अभ्यावेदन मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सहायक यंत्री (सि0) से कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पदों को पदोन्नति से भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग में दिनांक 20-04-2012 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें। बैठक के कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि कार्यवृत पर की गई कार्यवाही की जानकारी एक माह के भीतर आयोग को भिजवाने का कष्ट करेंगे।

भवदीय,

(एन.के.मारन)
अनुसंधान अधिकारी

2270
28/5/12
जारी किया
ISSUED

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

फाइल सं. एसो.-3/2010/एसटीजीएमपी/एसईपीआरओएम/आर.यू.-III

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के आवेदक श्री एस.के. सचदेव, सहायक यंत्री (सिविल) द्वारा दिए गए आवेदन पत्र-मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में कार्यरत सहायक यंत्री (सिविल) से कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति के संबंध में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष दिनांक 20-04-2012 को हुई बैठक का कार्यवृत :

उपस्थित-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-

1.	डा0 रामेश्वर उराँव	अध्यक्ष
2.	श्री आदित्य मिश्रा	संयुक्त सचिव
3.	श्रीमती के.डी. बन्सौर	उप निदेशक
4.	श्री एन.के. मारन	अनुसंधान अधिकारी

विद्युत वितरण कम्पनी (एमपीएसईबी)/राज्य शासन-

1.	मोहम्मद सुलेमान	सचिव, ऊर्जा, मध्य प्रदेश शासन
2.	श्री राजीव श्रीवास्तव	अतिरिक्त सचिव, एमपीएसईबी

आवेदक -

1.	श्री एस.के. सचदेव	सहायक यंत्री (सिविल)

विषय: सहायक यंत्री (सिविल) श्री एस.के. सचदेव, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संघ के अभ्यावेदन की मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सहायक यंत्री (सि0) से कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पदों को पदोन्नति से भरे जाने के संबंध में।

पृष्ठभूमि-

श्री एस.के. सचदेव, सहायक यंत्री (सि.) ने दिनांक 09-09-2010 को अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अवगत करवाया कि पदोन्नति नियम, 2002 की चिन्हित कंडिकाओं के निर्देशों के अनुसार कार्यपालन यंत्री (सि.) की हुई डीपीसी के उपरांत भी अनुसूचित जनजाति के रिक्त बैकलॉग के पदों की पूर्ति विशेष पदोन्नति समिति की बैठक 6 माह के होने के बाद भी आयोजित नहीं की गयी है। बैकलॉग की पूर्ति की जावे विद्युत मंडल पदोन्नति नियमों एवं उनके दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन कर रही है। कार्यपालन यंत्री

Rameshwar Oraon
डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(सिविल) के पदो के लिए दिसम्बर, 2010 तक पदोन्नति समिति की विशेष बैठक आहूत कर 30 दिसम्बर, 2006 तक अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के सहायक यंत्री (सिविल) को कार्यपालनयंत्री (सि.) के पदों पर पदोन्नत कर बैकलॉग की पूर्ति के मामले को आयोग जाँच कर मध्य प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को एवं अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को आरक्षित पदों को भरने की सलाह दें ।

प्रकरण पर आयोग ने दिनांक 16-11-2010 को अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल जबलपुर से टिप्पणी मांगे। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के पत्र दिनांक 03-01-2011 द्वारा जानकारी भेजी कि लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2002 को अपने अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ग्राह्य किया गया है। तत्संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी मेमों क्र. सी-3-7/02/03/एक दिनांक 06-07-2002 की कंडिका क्रमांक 2(3) तथा 3(3)(ब) में निम्नानुसार प्रावधान है कि-

1) कंडिका क्रमांक 2(3)-पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु गणना की रीति-स्पष्टीकरण-नियम-06(2) एवं नियम-7(3)-संबंधित वर्ष की जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीड संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जायेगी। उदाहरणार्थ लोक सेवक की पदोन्नति जनवरी में हुई हो, जुलाई में अथवा दिसम्बर में, अर्हकारी सेवा की गणना के लिए उस केलेण्डर वर्ष को एक वर्ष माना जायेगा।

2) कंडका क्र. 3(3)(ब)- इसके बाद न नियमों के प्रावधानों के तहत प्रतिवर्ष की रिक्तियों के लिये चयन सूचिया पृथक-पृथक बनाई जावेगी। नियुक्ति प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में विभागीय पदोन्नति/छानबीन समितियों का आयोजन उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के तहत प्रतिवर्ष हों साथ ही बैकलॉग की रिक्तियों की पूर्ति के लिए मुख्य डीपीसी के बाद विभागीय पदोन्नति/छानबीन समितिकी विशेष बैठक का आयोजन 6 मास के अंदर किया जावे।

3) उपरोक्त कंडिका क्रमांक 2(3) में उल्लेक्षित प्रावधान से यह स्वमेव स्पष्ट है कि संबंधित वर्ष (जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है) की प्रथम जनवरी को, अर्हकारी सेवा की गणना उस केलेण्डर वर्ष से की जाना है जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग के वेतनमान में आया है। मण्डल द्वारा उल्लेखित कंडिका क्र. 3(3) (ब) के प्रावधान के तहत प्रतिवर्ष संभावित रिक्तियों को भरने विभिन्न प्रवर्गों के लिए आरक्षित पदों की संभावित रिक्तियों के अनुसार उम्मीदवारों को सम्मिलित कर डीपीसी

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

आयोजित की जाती है। जिन उम्मीदवारों के संबंध में जानकारी मुख्य डीपीसी के समय प्राप्त नहीं होती है जानकारी प्राप्त होने पर उनके प्रकरणों पर विचार करने के लिए डीपीसी की विशेष बैठक आयोजित की जाती है।

कार्यपालन यंत्री (सि.) संवर्ग में वर्ष 2010 के दौरान संभावित रिक्तियो को भरने हेतु डीपीसी की बैठक पूर्व में की जा चुकी है। वर्ष 2010 के दौरान अनुसूचित जाति के 07 पद तथा अनुसूचित जनजाति के 16 पद रिक्त है तथापि दिनांक 30-12-2010 तक अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सहायक यंत्री (सि.) उपलब्ध नहीं होने के कारण आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी है।

4) दिनांक 30 दिसम्बर 2006 तक अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले सहायक अभियंताओं को वर्ष 2007 में पदोन्नति का लाभ अन्य शर्तें पूर्ण होने पर दिया जा चुका है।

5) दिनांक 30-12-2006 को पदोन्नत कर्मचारी द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर, अर्हता सेवा पूर्ण करने पर उनको पदोन्नत करने पर विचार किया जावेगा।

प्रार्थी को उक्त उत्तर से सूचित किया गया जिस पर प्रार्थी श्री सचदेव ने आयोग को 18-01-2011 खण्डन पत्र प्रेषित किया। खण्डन पत्र 17-03-2011 को आयोग ने अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल शक्ति भवन, जबलपुर को भेजा गया। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के संयुक्त सचिव (कार्मिक) ने दिनांक 15-04-2011 के तहत जानकारी दी कि मंडल के संदर्भित पत्र दिनांक 03-01-2011 के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन के परिपेक्ष्य में प्रांतीय महासचिव, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का प्रतिवेदन/उत्तर पदोन्नति के प्रावधानों के विपरीत भ्रामक एवं असत्य है। मंडल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 03-01-2011 के माध्यम से दी गयी जानकारी/बिन्दु पर कोई विशेष आपति व्यक्त नहीं की गयी है। इस प्रकार प्रेषित प्रतिवेदन पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है।

प्रार्थी ने पत्र दिनांक 22-03-2012 को सूचित किया कि "कार्यपालनयंत्री के कुल 25 बैकलॉग के पद बताये गये जो कि असत्य है। अनुसूचित जाति के 17 एवं अनुसूचित जनजाति के 10 इस प्रकार कुल 27 बैकलॉग के पद रिक्त है। फिडर कैडर में सहायकयंत्री उपलब्ध नहीं होना असत्य एवं भ्रामक है। विभाग ने मात्र औपचारिकता पूर्ण की है जिसका कोई भी हित लाभ इन वर्गों को प्राप्त नहीं हुआ है। वरिष्ठता 30-12-2006 से नहीं दिए जाने से संशोधित आदेश दिनांक 09-06-2010 का कोई औचित्य नहीं रह जाता क्यों ऐसा करने कोई लाभ नहीं मिला। अतः आवेदक ने मामले में व्यक्तिगत सुनवाई करने का अनुरोध किया ताकि

Rameshwar Oraon
डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

अनुसूचित जाति/जनजाति के अर्हकारी सहायकयंत्री (सि.) को कार्यपालन यंत्री (सि.) पर पदोन्नति मिल सके तथा इस वर्ग हेतु आरक्षित नियमों का पूर्ण लाभ अनुसूचित जनजाति/जाति के आवेदकों को मिल सके।"

मामले की आगे जांच का निणय लिया गया तथा आयोग में दिनांक 10-04-2012 को बैठक निर्धारित की गयी तथा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अनुरोध पर बैठक स्थगित की गयी तदोपरांत दिनांक 20-04-2012 को सुनवाई बैठक हुई।

चर्चा/निष्कर्ष –

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष सचिव उर्जा उपस्थित हुए तथा मामले से संबंधित जानकारी दी । प्रार्थी को भी अपनी बात कहने का अवसर दिया । प्रार्थी ने जानकारी दी कि उपरोक्त मामले में आयोग के अध्यक्ष के समक्ष पूर्व में भी चर्चा हुई थी तथा प्रकरण मुख्यत: सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री पद पर पदोन्नति में वरिष्ठता के निर्धारण का है जिसमें पदोन्नति कार्य ग्रहण की तिथि से मानी जाती है। मामले में पिछली तिथि वरिष्ठता को लेकर दिक्कत है। जूनियन इंजीनियर से इंटर से सिनयोरिटी (वरिष्ठता) प्रोटेक्ट की हुई थी।

अध्यक्ष महोदय ने सचिव उर्जा से पूछा कि यदि बोर्ड गलती करता है परन्तु नियम क्या है नियम के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रार्थी ने बताया कि सहायक यंत्री (सिविल) से कार्यपालन यंत्री (सिविल) का प्रमोशन पैनल वर्ष 2006 में स्वीकृत हो गया था जो कि 2007 में आदेश हुआ इससे एक साल की वरिष्ठता प्रभावित हुई। ऊर्जा सचिव ने अवगत कराया कि पैनल में पैनल अनुसार ही नाम रखे जाते हैं तथा पिछली पदोन्नति के आदेश के नामों के नीचे रखे जाते हैं। आयोग ने जानना चाहा कि वर्ष 2006 से नियमों के अन्तर्गत वरिष्ठता किस प्रकार दी जाए? ऊर्जा सचिव ने अवगत कराया कि इस हेतु अगल-अलग कम्पनियाँ बना दी गयी हैं तथा प्रकरण उनके सामने रखे जाकर निर्णय लिए जाएंगें । तथा प्रार्थी प्रकरण पर पुन: सभी सम्बन्धित कम्पनियों को लिखेंगें, जिसे उर्जा सचिव उचित नियमों के अन्तर्गत निराकरण कर पदोन्नित के मामलों का निपटान करेंगें तथा अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को देंगे।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi